

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ में शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत नाले के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी-40/पी/एन.ए.(12) 4, दिनांक 22.08.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ में शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत नाले के निर्माण कार्य के लिए ₹ 37.71 लाख (₹ सैंतीस लाख इक्कहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्ता एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत जल निकासी का कार्य।	37.71	15.00
योग				37.71	15.00

(₹ पन्द्रह लाख मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित मण्डल/जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- (2) निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा ₹0 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹0 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी में न ही किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 - (9) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 - (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 - (11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- 2- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भयदीय,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-18/2017/3415(1)/नौ-5-16-159बजट/2016, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- मा0 महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-18-2017-3415-9-5-16-159B-2016
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 63007000	1500000 63007000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1500000 63007000	1500000 63007000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ तीस लाख सात हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी